

## राजस्थान सरकार

### निदेशालय स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान

(जी-३, राजमहल रेजीडेंसी, सिविल लाइन फाटक के पास, जयपुर, दूरभाष एवं फैक्स नं.-०१४१-२२२२४०३)  
 dlbrajasthan@gmail.com / dlbdda05@gmail.com

मांक : प.1(ग) (७)का / एसएमई / डीएलबी / १८ / १९०६।

दिनांक : ३१/३/१८

#### आदेश :

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 336 में प्रदत्त शवित्रियों का प्रयोग करते हुए अधीनस्थ एवं लिपिकवर्गीय सर्वर्ग के निम्नांकित कर्मचारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन तुरन्त प्रभाव से निम्नानुसार किये जाते हैं:-

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	पद नाम	कहाँ से	कहाँ को
01.	श्री नेमीचन्द्र चौहान	स. प्र. अधिकारी	आदेशों की प्रतिक्रिया में	जैतारण
02.	संतरा कुमारी	फायरमैन	लोसल	सीकर
03.	श्री रविन्द्र कुमार यादव	फायरमैन	भरतपुर	अलवर
04.	श्री छगन लाल	फायरमैन	अलवर	भरतपुर

#### गोट:-

- स्थानान्तरित कर्मचारियों के पदनाम में कोई परिवर्तन हो तो तुरन्त विभाग को अवगत करावे अन्यथा व्यक्तिशः जिम्मेदारी होगी।
- स्थानान्तरित कर्मचारियों का सेवाभिलेख प्राप्त होने के उपरान्त ही इन्हे वेतन का भुगतान किया जावे।
- यदि कोई कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी/संविदा पर नियुक्त हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावे एवं कार्यमुक्त नहीं किया जाकर विभाग को अवगत करावे।
- यदि कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त/किसी अन्य कारणों से सेवा से पृथक हो गया हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावे।

(पवन अरोड़ा)  
निदेशक एवं संयुक्त

शासन सचिव

क्रमांक:- प.1(ग)( ७ )का / एसएमई / डीएलबी / १८ / १९०६२-१९०७९ दिनांक : २१/३/१८

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदय, रवा.शा.वि., राज. जयपुर।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, रवा.शा.वि., राज. जयपुर।
- महापौर/आयुक्त/अध्यक्ष/समापति/अधिकारी, नगर निगम/परिषद्/ पालिका, भरतपुर/अलवर/सीकर/लोसल/जैतारण।
- उपनिदेशक (हैत्रिय) स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर/जोधपुर/भरतपुर।
- संबंधित कर्मचारी
- सुरक्षित पत्रावली।

(डॉ वीरेन्द्र सिंह)  
उप निदेशक (प्रशासन)